

पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त हरगोविंद द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता उप।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बटेल उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड के अप.क्र0 209/2017 अंतर्गत धारा 366, 376डी, 323, 506 एवं 34 भा0दं0वि0 की कैफियत व केश डायरी प्राप्त।

आवेदक हरगोविंद के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 के साथ उसके चचेरे भाई माताप्रसाद का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक हरगोविंद का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 है। इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकृति का आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक की ओर से सूची सहित दस्तावेज उसके परिवार की ओर से की गई शिकायतों, रजिस्ट्री की रसीदों तथा दावे की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई नकल दिलाई गई।

आवेदक हरगोविंद के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक ग्राम सिरसोद का स्थाई निवासी होकर सीधा साधा व्यक्ति है। आवेदक के परिवार तथा फरियादिया के रिश्तेदारों के विरुद्ध पूर्व से ही आवेदक की जमीन के संबंध में व्यवहारवाद गोहद न्यायालय में संचालित है। फरियादिया के रिश्तेदार सोना बाई, बेटाल, छोटे एवं देवेन्द्र वघेल आवेदक को तथा आवेदक के परिवार को पूर्व से झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिसकी रिपोर्ट आवेदक के द्वारा पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति होकर शांतिपूर्वक जीवन यापन करता है। विरोधियों की गलत सूचना के आधार पर पुलिस थाना गोहद द्वारा आवेदक के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अपराध से उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आवेदक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा समाज में आवेदक एवं उसके परिवार की प्रतिष्ठा है।

आवेदक की मां वृद्ध है तथा विधवा है। मां की देखभाल तथा सेवा करने वाला आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यदि आवेदक अधिक दिनों तक न्यायिक निरोध में रहता है तो आवेदक तथा उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 15.09.2017 को अभियोक्त्री कुमारी आशा बघेल अपनी मां मुन्नी बघेल के साथ कुशवाह नगर थाना लोनी जिला गाजियाबाद से ग्राम सिरसोदा में अपने मामा के घर श्राद्ध के निमंत्रण में आई थी। दिनांक 19.09.2017 को शाम चार बजे सिरसोदा से गोहद बाजार चप्पल पहनने के लिए जा रही थी, जैसी ही वह गांव से थोड़ी दूर निकल पाई कि उसी समय सिरसोद के कुलदीप गुर्जर एवं हरगोविंद बघेल मोटरसाइकिल से आए, जिन्हें वह पहले से जानती थी, वे बोले कहाँ जा रही हो, तब उसने कहा कि चप्पल टूट गई हैं नई चप्पल लेने जा रही है, तब उन लोगों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ तुम्हें गोहद छोड़ देंगे। फरियादिया उनकी मोटरसाइकिल में बैठ गई, फिर वे दोनों उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, जहाँ दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया एवं कुलदीप गुर्जर ने उसकी मारपीट की जिससे उसके दाहिने गाल में व शरीर में जगह जगह चोटें आईं। दोनों ने कहा कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। तीन दिन तक फरियादिया को दोनों ने अज्ञात स्थान पर रखा। दिनांक 21.09.17 को कुलदीप के मोबाइल पर किसी का कई बार फोन आया तब दिनांक 22.09.2017 को कुलदीप व हरगोविंद बंधा के पास वाले पेट्रोलपम्प पर उसे लेकर आए और आशा बघेल को छोड़कर चले गए। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में दर्ज कराई गई।

आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसके परिवार की ओर से पूर्व से ही पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह आवेदन दिये गए थे कि फरियादी पक्ष जमीनी विवाद के कारण उन्हे झूठा फसा सकता है, जिसके संबंध में शिकायतों की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जमीनी विवाद के संबंध में वादपत्र की फोटोप्रति भी पेश की

गई है। परंतु मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अभियोजन के अनुसार आवेदक पर लगाए गए आक्षेपों को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा आवेदक हरगोविंद को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसका जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी बापस की जावे।
प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)